

प्रेषक,

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी,
जौनपुर।

सेवामें,

प्रबन्धक,
सनबीम स्कूल कुलहनामऊ
सिकरारा, जौनपुर।

पत्रांक:

वे0-2/ ६८-८-१४

/2012-13

दिनांक- ३-७-१२

विषय:
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके तारीख..... के आवेदन पर शिक्षा निदेशालय ००प्र०, इलाहाबाद स्तर पर गठित राज्य स्तरीय मान्यता समिति द्वारा लिए गये निर्णय दिनांक २६-०७-२०१२ एवं शिक्षा निदेशक (बैसिक) ००प्र० शिक्षा सामान्य (२) अनुभाग, इलाहाबाद के आदेश सं०- सामान्य (२)/१२४९-५२/२०१२-१३ दिनांक ३१-०७-२०१२ के क्रम में मैं सनबीम स्कूल कुलहनामऊ सिकरारा, जौनपुर को ०१-०७-२०१२ से ३०-०६-२०१५ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-नंसरी से कक्षा-८ तक के लिए अनन्तिम मायता प्रदान करने की संस्कृना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- १- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा-८ के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- २- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांचं १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपांचं २) के उपबंधों का पालन करेगा।
- ३- विद्यालय कक्षा-१ में (या यथारिस्ति, नंसरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के..... प्रतिशत तक आस-पडोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- ४- ऐसा-२ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा १२ का उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक वैक खाता रखेगा।
- ५- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरकार को किसी स्वीकारिता के अध्याधीन नहीं करेगा।
- ६- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित अधिनियम के अधीन अधिकाधित किये जाएंगा:-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन आंधकाधित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के उपांच के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३ (१) के अधीन यथा अधिकाधित न्यूनतम अहताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापकों के जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा २४(१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया-कलाओं में नियोजित नहीं करेंगे।
- ७-
- ८-

Shubha

प्रबन्धक
सनबीम स्कूल
कुलहनामऊ सदर जौनपुर

Principal
Sunbeam School
Kulhanamau
Mallahabad Sadar
Jaunpur

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :
 कुल निर्मित क्षेत्र :
 क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल :
 कक्षाओं की संख्या :
 प्राच्यापक-सह-कार्यालय-सह भांडागार के लिए कक्ष :
 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :
 पेयजल सुविधा :
 बाधारहित पहुँच :
 अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्थिरो/पुस्तकालय की उपलब्धता:
 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएंगी।
 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12- स्कूल को किसी व्यष्टि व्यष्टियों के सूझे या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड, एकाउन्टेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14- आपके विद्यालय का आवार्टिट मान्यता कोड संख्यांक है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जावें।
 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
 17- संलग्न उपायन्थ के अनुसार अन्य कोई शर्त।
 18- उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा मान्यता आदेश निर्भाव करने के उपरान्त विद्यालय की मान्यता हेतु आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों, प्रपत्रों, सूचनाओं तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या में वर्णित सूचनाओं के त्रुटिपूर्णमित्या/आमक/तथ्यगोपन की स्थिति किसी भी स्तर पर पायी जाती है तो आपके विद्यालय को प्रदत्त मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/अधिनियमों में वर्णित समस्त नियमों का एवं शर्तों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(राम प्रवेश)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जैनपुर।

दिनांक-उत्ती तिथि को।

पृष्ठ सं.: ३०-२ / ५८९-१४
/ 2012-13

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, उ०५० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकास क्षेत्र जैनपुर/नगर शिक्षा अधिकारी, जैनपुर।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी, जैनपुर।
- अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जैनपुर।
- पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जैनपुर।
- कार्यालय गार्ड फाइल।

चलाई हाता स्थानित
Prash

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जैनपुर।
५३१२०२०

(राम प्रवेश)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जैनपुर।

Shubha Syl

प्रबन्धक
सन्दीप स्कूल
कुलहनामा सदर जौनपुर

Principal
Sunbeam School
Kulhanamau
Kulichabad Sadar
Jaunpur